ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

कल्याणकारी राज्य की व्याख्या; मनु के राजनैतिक दर्शन के परिपेक्ष्य में

Explanation of Welfare State: In The Context of Manu's Political Philosophy

Paper Submission: 05/05/2021, Date of Acceptance: 15/05/2021, Date of Publication: 24/05/2021

मंजू शर्मा
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
प.न.कि.श. राजकीय
महाविद्यालय, दौसा,
राजस्थान, भारत

सारांश

अति प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक चिंतन की एक ऐसी लम्बी परम्परा रही हैं जो पश्चिमी विद्वानों के इस पूर्वाग्रह का खण्डन करती है कि भारतीय अपने संस्कार एवं प्रकृति से ही मात्र एक पारलौकिक दृष्टिकोण रखने वाली जाति है। और इसकी राजनीतिक जैसे लौकिक विषय में कोई रूचि एवं गति नहीं है। यथार्थ तो यह है कि वेदों से लेकर शुक्रनीतिसार तक प्राचीन ग्रंथों में राजनीतिक ज्ञान का विशाल कोष संग्रहित है। इसी श्रृंखला में मनु के राजनैतिक चिंतन का योगदान मौलिक एवं अद्वितीय है। प्रस्तुत शोध पत्र में मनुस्मृति में वर्णित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों के आधार एवं राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के अध्ययन का प्रयास किया गया है।

Since time immemorial, India has had such a long tradition of political thought that refutes the prejudice of Western scholars that Indians are merely a race with a transcendental outlook by their culture and nature. And it has no interest and momentum in a secular subject like politics. The reality is that from the Vedas to Shukranitisar, a vast fund of political knowledge is stored in ancient texts. In this series, the contribution of Manu's political thought is original and unique. In the present research paper, an attempt has been made to study the basis of the theoretical and practical aspects of the Indian political system described in Manusmriti and the welfare nature of the state.

मुख्य शब्द : चतुर्दिक, सप्तांग, अमात्य, अवलम्बन, मत्स्यन्याय, वानप्रस्थ, मौलिक, सावयव।

Chaturdik, Saptanga, Amatya, Avalamban, Matsyanya, Vanaprastha, Moolik, Saavayava.

प्रस्तावना

इन्द्रात्प्रभुत्वं तपनातप्रतापं
क्रोधो यमाद वैश्रवणाच्चपित्तम्
आह्मदकत्वं च निशा धिनाथाद्
आदाय राज्ञो कृियते शरीरः[1]

मनुस्मृति के सातवें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था बडी भयंकर थी। उस समय न कोई राज्य था न कोई राजा इनके अभाव में दण्ड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नही था। राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में आसुरी शक्ति का बोलबाला था। जिनके परिणामस्वरूप चतुर्दिक अराजकता का अखण्ड साम्राज्य था। सभी लोग दुखी अवस्था में थे । कोई भी व्यक्ति अपने कृत्तव्यों के पालन की स्थिति में नही था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख किया है।[2]

मनु की धारणा है कि ईश्वर ने राजा को विशिष्ट एवं श्रेष्ट देव के रूप में बनाया है। उनके अनुसार ईश्वर ने राजा को आठ श्रेष्ठ देवों (इन्द्र, यम, सूर्य, अग्नि, वरूण, चन्द्र तथा कुबेर) के अंशों से बनाया है।[3]

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विवेचन मनु के राजनैतिक दर्शन को आधार मान कर करना है आधुनिक राज्य के कार्य क्षेत्र को हम मनु द्वारा प्रस्तुत राज्य के प्रमुख लक्षणों एवं कार्यों के आधार पर किस प्रकार कल्याणकारी मार्ग की ओर प्रशस्त कर सकते हैं यही इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

राज्य/राजपद का स्वरूप

यद्यपि मनुस्मृति में राज्य को अपनी उत्पत्ति से दैवीय संस्था माना है किंतु इसके साथ ही यह भी कहा है कि, प्रभु ने राज्य के निर्माण से पहले ही दंड (विधान) का निर्माण कर दिया था। यह दंड ही वास्तव में राजा (राज्य) होता है।[4] इससे स्पष्ट है, कि मनु ने राज्य को देवी संस्था तो माना है किंतु अपनी प्रकृति से राज्य को सर्वोच्च एवं साध्य नहीं माना है। वस्तुतः राज्य दैवी दण्ड अर्थात विधान के अधीन है और वह इस देवी दंड को लागू करने का साधन है। हम राज्य की प्रकृति को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं–

1. राज्य अपनी प्रकृति से देवी विधान (दंड) के अधीन अधीन दैवीय सस्था है।
2. राज्य अपनी प्रकृति से ऐसी सस्था है जो विधान को लागू करके सार्वजनिक हित में वृद्धि करती है। किंतु जब संस्था विधान की उपेक्षा करती है, तो अव्ययवस्था को जन्म देती है।
3. राज्य स्वंय में साध्य नहीं अपितु दैवीय विधान को लागू करने का साधन है।

राज्य का सप्तांग सिद्धांत

मनु ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परम्परा के अनुसार राज्य को अपनी प्रकृति से सात अंगों वाला शरीर (सावयव) माना हैं यह उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रकृति से तात्पर्य राज्य के निर्माणक तत्वों से बनी सस्था बताया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है।[5] ये सावयवी प्रकृतियाँ इस प्रकार है– स्वामी, अमात्य, पुर, राज्य, कोष, दण्ड, मित्र।

लोककल्याणकारी राज्य

मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तृत विवेचन किया है राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा–रक्षण, प्रजारंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। मनु ने प्रजारजंन अर्थात लोककल्याण का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया है।

लोककल्याणकारी राज्य के प्रमुख दायित्व/कार्य

मनुस्मृति के अध्ययन के पश्चात् मनु की राज्य के कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ प्रमुख विशेषताएँ दृष्टिगत होती हैं

1. मनु ने राजा के जो कार्य बताये है वो वास्तव में राज्य के कार्य है।
2. राजा/राज्य स्वयं में साध्य नहीं अपितु राज्यधर्म पर आधारित कार्यों को करने को साधन है।
3. राज्य अपनी दण्ड शक्ति द्वारा प्रजाजन में उनके स्वधर्म का पालन कराने का अधिकार रखता है।
4. राज्य एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक सस्था है।
5. मनु ने राज्य के कार्य–क्षेत्र में प्रजा–पालन एवं प्रजा–कल्याण के कार्यो को अधिक महत्त्व दिया है।

प्रजा रक्षण

मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है।[6] ग्रंथ में प्रजा–रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया गया है। मनु के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में 'मत्स्य न्याय' की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई। अतः राजा का प्रथम कृर्तव्य राज्य में व्यक्तियों की रक्षा करना है। प्रजा रक्षण के इस दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना है कि प्रजा रक्षण को राज्य एवं राजा के अस्तित्व की रक्षा के लिये अनिवार्य मान लिया गया है।[7]

मनु ने राज्य के अपराधिक प्रवृति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक माना है। उन्होनें इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए राजा को दण्ड का अवलम्बन लेने का परामर्श दिया है।[8]

मनु ने कहा है कि राजा को राज्य में दंड को सदैव उद्यत रखना चाहिये, क्योंकि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता हैं राज्य में चोरी, डाका, अनाचार, व्यभिचार आदि को समाप्त किया जा सकता है।[9] बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा को भी मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाने का परामर्श दिया है।

प्रजापालन/लोककल्याण

प्रजा रक्षण के कार्य को पूर्णता तब ही प्राप्त होती है, जब राज्य प्रजा–पालन एवं प्रजारजंन (लोक कल्याण) के कार्य को भी करता है। मनुस्मृति ने प्रजा–पालन को राज्य का प्रमुख कार्य माना है।[10] प्रजा–पालन के दायित्व की पूर्ति के लिये राज्य अनेक प्रजाहितकारी कार्यों को करता है वो इस प्रकार है–

1. कृषि की उन्नति में मदद देना और सिंचाई के साधनों का प्रबंध करना।
2. व्यापार की उन्नति में मदद देना और इस उद्देश्य से यातायात के मार्गो का विकास करना और उन्हें लुटेरों से सुरक्षित रखना।
3. नाप–तोल के बॉटों का परीक्षण करना, मूल्यों का नियंत्रण करना तथा मिलावट को रोकना।
4. अनाथ बालकों तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करना तथा उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना।
5. असहाय बाँझ तथा रोगी स्त्रियों और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना।
6. पाठशालाओं, देवालयों, औषधालयों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करना।
7. वेदज्ञ एवं पवित्र विद्वानों (ब्रह्माण) का सम्मान करना व दान द्वारा उनकी आर्थिक मदद करना।
8. समाज कंटको, जैसे : रिश्वतखोरों, धूर्तो, ठगों, जुँआरियों आदि को दण्डित करना।

इस प्रकार मनु ने सर्वतोमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये शासक से समस्त विधाओं (श्रयी,

आन्वीक्षिकी, वार्ता एवं दंड नीति) का सम्यक उपयोग करना अनिवार्य माना है।[11]

अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण

मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तथा प्रजा की भौतिक एवं आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करें तथा सम्पत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे मनु ने राज्य की सुदृढ. आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है।[12]

मनु ने राजकोष या राज्य की आय के प्रमुख साधन बताये है, बलि (विभिन्न प्रकार के कर) शुल्क (चुंगी) दंडकर (जुर्माना) मनु ने करारोपण में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख भी मनुस्मृति में किया है। कर वसूली सिद्धांत (मनु के अनुसार)

1. प्रजारक्षण का सिद्धांत
2. लाभ पर कर का सिद्धांत
3. राष्ट्रीय योजना सिद्धांत
4. व्यथा मुक्ति का सिद्धांत
5. अधिक कर निषेध सिद्धांत

प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह

राजा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा कर सके इसके लिए मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानता है। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन कर सके। इसके लिये राजा को गुप्तचरों के माध्यम से अधिकारियों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिये जो अधिकारी अनुचित रूप से धन ले या भ्रष्ट आचरण करे, उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए।

सामाजिक व्यवस्था का नियमन एवं निर्वाह

मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का एक दायित्व माना गया है। मनुस्मृति में समाज को चार वर्णों में विभाजित किया है– ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। राज्य से यह अपेक्षा ही गयी है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिचित करें। विभिन्न वर्णों , विशेषतया वैश्य और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चार आश्रमों का उल्लेख किया है[13]– ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करे यह देखने का दायित्व राज्य का है।

न्याय व्यवस्था

मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है, कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य हैं।

मनु के अनुसार राज्य अपनी दाण्डिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है। उनके द्वारा आचरण मर्यादाओं के उल्लघंन को रोकता हैं मनु की मान्यता है कि यदि राज्य दण्ड का प्रयोग उचित रीति से एंव विचारपूर्वक करता है, तो समस्त नागरिक प्रसन्न रहते है परंतु उसके विपरीत यदि इसका सत्यव्यवहार अनुचित रीति से तथा लोभ या प्रमोद के आधार पर किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते है।

मनु के अनुसार राज्य न्याय की स्थापना के द्वारा व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है। यदि राज्य इस दायित्व को नहीं निभायेगा तो शक्तिशाली कमजोर का अतिक्रमण कर लेगा।[14] और समाज में उचित–अनुचित का भेद समाप्त हो जायेगाा। मनु के अनुसार राज्य आचरण के धर्म –सम्मत मापदंडो के अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय प्रतिष्ठित करता है।

परराष्ट्र सम्बंधों का संचालन

मनु ने पर राष्ट्र सम्बंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। मनु की मान्यता है, कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बंधों के सतर्कता पूर्ण संचालन द्वारा शासक प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है।[15] एक राष्ट्र पर–राष्ट्र संबंधों में युक्ति एवं विवक के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है, कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उल्लझना पडें. मनु ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सचांलन के लिये एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। तथा शासक को इस संबंध में मण्डल सिद्धांत, षटुगुण नीति तथा उपायों का विवके सम्मत पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया है।[16]

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र अतः हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि वर्तमान भारतीय एवं अन्य राजनैतिक व्यवस्थाओं में सुधार की असीम संभावनाएं हैं किसी भी राज्य के नागरिकों को छह मुखी कल्याण हेतु हम मनु के कल्याणकारी राज्य के मॉडल को नीव बनाकर उस पर एक सुखद राजनीतिक व्यवस्था की इमारत का निर्माण कर सकते हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–4 ।*
2. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–3 ।*
3. *मनुस्मृति, अध्याय–7,श्लोक–5 ।*
4. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–17 ।*
5. *मनुस्मृति, अध्याय–9, श्लोक–294 ।*
6. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–110,111 ।*
7. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–112 ।*
8. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–14 ।*
9. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–19–21,23–25 ।*
10. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–87 ।*
11. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–133 ।*
12. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–129–132,137–139 ।*
13. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–127–129 ।*
14. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–20 ।*
15. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–155–56 ।*
16. *मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक–108, 198, 200 ।*